कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव,राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

//प्रारंभिक अधिसूचना//

क्रमांक/ 5357 /भू-अर्जन/2024 दंतेवाड़ा दिनांक 05 .09.2024

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि नीचे अनुसूची के कॉलम (1) से (5) में दर्शित भूमि की अनुसूची के कॉलम (7) में दर्शित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है,अतः भूमि अर्जन,पुनर्वासन तथा पूनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013(जिसे एतद् पश्चात अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है,कि राज्य शासन,एतद् द्वारा अनुसूची के कॉलम (6) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है।

-अनुसूची-

भूमि का विवरण					प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम/ प0ह0 नं0	क्रमशः खसरा नं.	क्रमशः.क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) लगभग		
1	2	3	4	5	6	7
दंतेवाड़ा	दंतेवाड़ा	बालूद प0ह0 नं0-10	121,1166,1174,1189, 132, 134, ,294, 139, 137, 235/1, 252, 253/3, 253/2, 253/4, 246/1, 259/1, 274, 288, 295/2, 295/5, 295/3, 295/4, 773, 1276, 1292, 1291, 1294, 1308/1, 1308/2259/2, 259/3, 259/4,246/2, 234, 292, 293,296, 260/1, 1169	0.060,0.020, 0.020,0.020, 0.020,0.010,0.050,0.070, 0.040,0.150,0.050,0.070, 0.050,0.070,0.090,0.060, 0.220,0.140,0.050,0.020, 0.180,0.120,0.040,0.040, 0.020,0.030,0.030,0.210, 0.230,0.010,0.010,0.010, 0.090,0.04,0.58,0.53, 0.60,0.08, 0.02,	कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग दंतेवाड़ा	बायपास गीदम जनपद से बांगाबाड़ी सड़क निर्माण बालूद
योगः-			39	3.610		

2. यह भी सूचित किया जाता है,कि उपरोक्त भूमि में कोई भी हितबद्ध व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि के 60 दिवस के भीतर अर्जित की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल एवं उपयुक्तता लोक प्रयोजन के औचित्य तथा सामजिक समाघात निर्धारण के निष्कर्षो के बारे में अपना दावा/आपत्ति लिखित में कलेक्टर को स्वंय अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से अधिनियम 2013की धारा 15 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रस्तुत कर सकेगा।
3. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व दंतेवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।
4. प्रस्तावित भू-अर्जन से किसी भी प्रभावित परिवार का विस्थापन निहित नही है।
5. प्रस्तावित प्रयोजन के भू-अर्जन के लिये कराये गये सामाजिक समाघात अध्ययन के अनुसार भूमि का अर्जन अंतिम विकल्प के रूप में किया जाना प्रस्तावित है तथा भूमि अर्जन से सामाजिक समाघात की तुलना में सामाजिक लाभ अधिक होना पाया गया है।
6. प्रस्तावित भू-अर्जन के लिए अधिनियम 2013 की धारा 43 के तहत् अनुविभागीय अधिकारी,राजस्व दंतेवाड़ा को पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक नियुक्त किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(मयंक चतुर्वेदी)
कलेक्टर
दक्षिण बस्तर
एवं पदेन उप सचिव छ0ग0शासन
राजस्व विभाग एवं आपदा प्रबंधन विभाग